TO BE ISSUED IN HINDI

RTI Matter/Time Bound

F.No.13030/3/2013-K.II
Government of India
Ministry of Home Affairs
(J&K Division)

New Delhi Dated: May, 2013.

28 MAY 2013

To

Shri Mukhtiyar Singh Sufi,
WZ 168, Khampur,
West Patel Nagar,
New Delhi 110008.

Sub: Information under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to endorsement of letter No.36/4/2011-(R&SO) dated 10.5.2013 with reference to your RTI application dated 22.3.2013 for providing information pertaining to Kashmir.

2. In respect of points No.12 of your application, it may be stated that 13868 civilians and 4834 Security Forces personnel have lost their lives since 1990 to 30th April, 2013.

3. For point No. 13, it is stated that under the scheme Security Related Expenditure (Police) Rs.4160.74 crore and under SRE(Relief & Reh.) Rs. 2160.59 crores have been reimbursed to State Govt. of Jammu & Kashmir upto 31.3.2013. The item-wise details of amount reimbursed under Security Related Expenditure can not be disclosed as it attracts the provision of Section 8(1)(a) of the RTI Act, 2005.

4. The Appellate Authority in this matter is Shri R.K. Srivastava, Joint Secretary (Kashmir), Room No. 127-A, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

(Mrs. Sulekha)
Deputy Secretary & CPIO
Tele.No. 23092696

ISSUED
28 MAY 2013

Copy for information to Shri R.C. Naik, Dir.&CPIO, MHA, NDCC-II Bldg., Jai Singh Road, New Delhi w.r.t. their letter No.36/4/2011-(R&SO) Dated 10.5.2013.

28/5/13

फा.सं. 13030/3/2013-के-।।
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग)
****

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई, 2013

सेवा में

श्री मुख्तियार सिंह सूफी,
डब्ल्यू जेड 168, खामपुर,
वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के के अंतर्गत सूचना।

महोदय,

कृपया कश्मीर से संबंधित सूचना प्रदान करने के बारे में अपने दिनांक 22.3.2013 के आर टी आई आवेदन के संदर्भ में दिनांक 10.5.2013 के पत्र सं. 36/4/2011-(आर एंड एस ओ) के पृष्ठांकन का अवलोकन करें।

2. आपके आवेदन के बिन्दु सं. 12 के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि 1990 से 30 अप्रैल, 2013 तक 13868 नागरिकों तथा 4834 सुरक्षा बल कार्मिकों की जाने गई हैं।

3. बिन्दु सं. 13 के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार को 31.3.2013 तक सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) योजना के अंतर्गत 4160.74 करोड़ रु. तथा सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत एवं पुनर्वास) के अंतर्गत 2160.59 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गई है। सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की गई राशि के मद-वार विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (क) का प्रावधान लागू होता है।

4. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (कश्मीर), कक्ष सं. 127-क, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली हैं।

भवदीय,

(श्रीमती सुलेखा)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष: 2309 2696

प्रतिलिपि श्री आर. सी. नायक, निदेशक एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली को उनके दिनांक 10.5.2013 के पत्र सं. 36/4/2011-(आर एंड एस ओ) के संदर्भ में।

ISSUED 28/5/13

Sub Total	**362.4958**	**26.1426**	**105.0177925**	19.09676	**3.5243**	**516.2772525**	
Transport Board Lodge	221.5665	0	0	0		221.5665	
Lease /board/lodge sec. zone	32.2	12.5229	32.58294	38.4616	42.13902	157.90646	
Sec. Works Estates	55.93	0	0	0	0	55.93	
Security Works Police	110.622	2.9509	6.9766	37.2013	26.209	183.9598	
Security Work Jail	5.32	13.2303	0	0	0	18.5503	
Alt. Accom. For SFs.	45.513	0	31.91896	35.6276	27.3006	140.36016	
Ex-gratia	0	0	0.5235	0.108	0	0.6315	
Sub Total	**471.1515**	**28.7041**	**72.002**	**111.3985**	**95.648620**	**778.90472**	
Overpayment Recovery **2007.08**	0.04			**2011-12**	5.97762		
SRE Police Total	**2603.59168**	**152.8261311**	**427.8648992**	**326.71738**	**255.17642**	**3766.1765103**	
Election Related SRE	330.6233	13.873516	29.90744	15.5532	4.6066	394.564056	
TOTAL J &K	**2934.21498**	**166.6996471**	**457.7723392**	**342.27058**	**259.78302**	**4160.7405663**	
Himachal Pradesh	30.05056	1.3002534	2.2276608	3.3926	1.2169213	38.1879955	
Total for J&K and HP	**2964.26554**	**168.00**	**460.00**	**345.6632**	**260.9999**	**4198.92864**	

349/TS(LEB)/13 2015

CR-107835/2013/K-II

आर.टी.आई. मामला/स्पीड पोस्ट

फा0 सं0 36/4/2011- (आर एवं एस ओ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एफ.एफ.आर. प्रभाग

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग, जय सिंह रोड

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई, 2013

सेवा में,

श्री मुख्तियार सिंह सूफी,
डब्ल्यू जेड- 168, खामपुर,
वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली - 110008

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग के माध्यम से इस प्रभाग में दिनांक 12.04.2013 को प्राप्त अपने दिनांक 22.03.2013 के आर.टी.आई. आवेदन का अवलोकन करें। बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार दी गई है:-

बिन्दु संख्या 3 के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1955-56 में तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 84.05 लाख विस्थापित व्यक्ति भारत आए थे। इसमें से, 47.20 लाख पश्चिमी पाकिस्तान से और 36.85 लाख पूर्वी पाकिस्तान से थे। उन मुस्लिमों की संख्या, जो पाकिस्तान गए और भारत वापिस आए, की जानकारी अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु संख्या 4 के संबंध में, विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के संदर्भ में तथा उसके तहत् बनाए गए नियमों के अनुसार, तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का उनके द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति के बदले भूमि / नकद के रूप में मुआवजा उपलब्ध कराकर देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्वास किया गया था।

बिन्दु संख्या 5 और 6 के संबंध में, अभिलेख में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु संख्या 7 के संबंध में मामला बहुत पुराना होने के कारण संबंधित फाइलों का पता नहीं लग पाया है। तथापि, वर्ष 1955-56 में तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कुछ समग्र सांख्यिकीय आंकड़े इसके साथ संलग्न हैं।

बिन्दु संख्या 8 के संबंध में, जानकारी मंत्रालय के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।

20/5/13 10 (K-II) 2015

बिन्दु संख्या 9, 10, 11 और 14 के संबंध में, अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आपके आवेदन की एक प्रति इस मंत्रालय के आई.एस. प्रभाग को भेजी जा रही है।

बिन्दु संख्या 12 और 13 के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्रालय के जे एवं के प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं।

बिन्दु संख्या 15 और 16 के संबंध में, इस मंत्रालय में कोई जानकारी नहीं रखी गई है, इस संबंध में आप संबंधित राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं।

बिन्दु संख्या 17 के संबंध में, अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आपके आवेदन की एक प्रति इस मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को भेजी जा रही है।

यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो निम्नलिखित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

"संयुक्त सचिव (एफ0एफ0आर0), गृह मंत्रालय,
दूसरा तल, एन.डी.सी.सी.।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।"

भवदीय,

(आर.सी. नायक)
निदेशक और सी.पी.आई.ओ.

आर.टी.आई. आवेदन की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रति प्रेषित:-

1. निदेशक / सी.पी.आई.ओ. (आई.एस.-।) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को बिन्दु संख्या 9, 10, 11 और 14 के संदर्भ आवेदक को उत्तर देने के लिए।
2. निदेशक/ सी.पी.आई.ओ. जे. एवं के. प्रभाग को बिन्दु संख्या 12 और 13 के संदर्भ में आवेदक को उत्तर देने के लिए।
3. निदेशक/सी.पी.आई.ओ. विदेशी प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को बिन्दु संख्या 17 के संदर्भ में आवेदक को उत्तर देने के लिए।

(5)

जन सूचना अधिकारी
गृह मन्त्रालय भारत
सरकार नई दिल्ली

दिनांक 22/3/2013
R.T.I - No - 3/02322
अत्यन्त महत्वपूर्ण

409

(2038/RTI/2013
29/5/13)

विषय :- R.T.I एक्ट 2005 के तहत

होदय
श्रीमान जी विनम्र निवेदन यह है, कि R.T.I एक्ट 2005 के तहत मुझे निम्न लिखित प्रश्नो के उत्तर पूर्ण तथ्यो सहित दे, व जो प्रश्न अन्य विभागो से सम्बन्धित हो उनके उत्तर सम्बन्धित विभागो से R.T.I एक्ट की धारा 6 (3) के तहत दिलाए यदि सम्भव हो सभी सभी उत्तर हिन्दी मे ही दे सभी उत्तरो के साथ प्रश्न भी लि॰

1) ब्रिटिस सरकार द्वारा भारत देश को कब स्वतन्त्रता प्रदान की गई ब्रिटिस सरकार की ओर से कब किस अधिकारी ने हस्ताक्षर किये उन सभी पेपरो की प्रतिलिपीयां दे।

2) हिन्दुस्तान का बटवारा कब किन कागजातो द्वारा किया गया पकिस्तान कब बनाया गया ब्रिटिस सरकार भारत सरकार पकिस्तान की ओर से बटवारे मे कोन -2 सरीक हुये व उन्हे कब -2 किन -2 कागजो पर बटवारे के तहत हस्ताक्षर किये उन सभी पेपरो की प्रतिलिपियां दे।

3) हिन्दुस्तान बटवारे मे भारत से कितने मुसलमान पकिस्तान गये व पकिस्तान से कितने लोग परिवार भारत आये यदि पुरी -2 गिनती सख्या सम्भव न हो तो लगभग आकडे दे व कितने मुसलीम लोग परिवार पकिस्तान से जाने के बाद वापिस आ गये जैसा हरियणा के मेव

) आजादी के बाद देश बटवारे के बाद पकिस्तान से आये सभी शरणार्थीयो को भारत देश मे कहां -2 किस तरह से बसाया गया इन सभी को जमीने घर किस -2 राज्यो मे कहां -2 कैसे दी गयी जैसे अनुदान मे ऋणो मे किस्तो मे जो भी हो सभी डिटेल दे।

) देश बटवारे के समय कब -2 कितने आदमीयो परिवारो की हत्याऐ की गई पुरी सख्या हो तो दे या आकडो अनुसार जानकारीयां दे

) दिल्ली मे पकिस्तान से आये शरणार्थीयो के लिये कब -2 कितनी कहां -2 जमीने एक्वायर कर कितनी कालोनियां कहां -2 बसाई गई व कहां -2 कितने फ्लेट बना -2 कर इन्हे किस -2 रेट मे दिये गये

) इनके रोजगार के लिये क्या -2 योजनाये बनाई गई व कब -2 किस -2 फण्ड से इन्हे कितना -2 अनुदान दिया गया व इन्हे दी गई जमीनो फ्लेटो की किस्तो मे कितनी छुट दी गई व नौकरियो मे इनके लिये जो विशेष सुविधा प्रावधान किये गये उनकी जानकारियां दे

9) इनकी सुविधा के लिये किराया कानून जिससे इन्हे निकाला ना जा सके जिस मालिक मकान के यहां ये रह रहे है कब कैसे व कितने दिनो के लिये बनाया गया वर्तमान समय मे लगभग कितने ऐसे किरायेदार है व कितने ऐसे किरायेदारो व मकान मालिको के मुकदमे न्यायलयो मे लम्बित पडे है। पूर्ण ब्योरा पूर्ण तथ्यो सहित

) पकिस्तान के साथ कब -2 कितने युद्ध (लडाईया) भारत के साथ किस बात को लेकर लडी गई व उनमे दोनो ओर से कितने आदमी मारे गये व उन पर कितना धन दोनो ओर से व भारत की ओर से खर्च हुआ पुरा ब्योरा ना हो तो लगभग आकडे दे।

) पजाब (भारत) मे, उग्रवाद कब से कब तक रहा व उग्रवाद दोर मे कितने सिविल किस -2 राज्यो के लोग व कितने सरकारी फोज सिपाई आदि कुल कितने मारे गये।

) पजाब मे उग्रवाद दौर मे पजाब पर कुल कितना भारत सरकार का धन खर्च हुआ उस
[illegible]

2

जम्मू काश्मीर मे अबतक सिविल व फौज सिपाई आदि कुल कितने आदमी मारे गये

3) जम्मू काश्मीर मे भारत सरकार की ओर से कुल कितना धन किस -2 रूप मे खर्च किया जा चुका है।

4) चीन युद्ध के साथ भारत के कुल कितने आदमी फौजी मारे गये इस युद्ध मे कितना नुकसान लगभग भारत सरकार को हुआ

5). पंजाब, जम्मू काश्मीर, भूटान, व पूर्वोत्तर राज्यो से व बंगलादेश से भारत मे विशेषत : दिल्ली मे आये इन विस्थापितो के लिये कब -2 कहां -2 कितना धन अनुदान आदि मे कैसे व्यय किया गया

16) दिल्ली मे उपरोक्त प्र० 15 के विस्थापितो के लिये कितनी कालोनीया, फ्लैट कहां बसाई गई व कैसे दी गई पूर्ण ब्योरा पूर्ण तथ्यो सहित दे।

17) पाकिस्तान व बंगलादेश के नागरिकों से कब -2 कितने लोग कब -2 वर्तमान समय अब तक भारत आये ये लोग भारत मे कहां -2 रह रहे हैं व उन्हें कौन-सा दर्जा अधिकार दिये गये पूर्ण ब्योरा दें उन्हे वापिस भेजने के लिये कब -2 क्या -2 कार्यवाहियां की गई।

M Singh
नाम- मुख्तीयार सिंह सुखी
पता - WZ-168 रवामपुर
वैस्ट पटेल नगर
नई दिल्ली 110008
Ph-9654247745